



**भारत सरकार**  
**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**  
**एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ**  
**Ministry of Environment, Forest & Climate Change**  
**Integrated Regional Office, Lucknow**



वैदेशीय विभाग के द्वारा दिए गए अधिकारी कोषारा।  
 Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024. Telephone-2326696  
 Email: eoc@moefcc.nic.in

पत्र सं.: ८३१/यूपी०/०६/२९२/२०२२/एफ.सी./६९७

दिनांक: 23.11.2022

सेवा मे.

अति० मुल्य सघिय,  
 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
 उत्तर प्रदेश शासन, गापू भवन, लखनऊ।

**ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/UP/Road/121267/2021**

**विषय:** जनपद सोनमढ़ मे पी०ए०जी०ए०व०ई० खण्ड लोक निर्माण विभाग सोनमढ़ द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल०डब्ल्यू०ई०) के अन्तर्गत मदई अरार से मकरीबारी मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में सोनमढ़ वन प्रभाग मे किमी० 0.00 से 40. 150 तक के मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभावित 18.09 है० आरक्षित वनभूमि एवं बाघक 98 वृक्षों के पातन तथा कैमूर वन्यजीव प्रभाग मीरजापुर मे किमी० 40.150 से 46.050 तक मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभावित 0.4293 है० आरक्षित वनभूमि एवं शून्य वृक्षों का पातन अर्थात् कुल 18.5193 है० आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाघक 98 पौधों के पातन की अनुमति के सन्दर्भ मे।

**सन्दर्भ :** सचिव(वन), उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक-पी-३२८/८१-२-२०२२-८००(३४९)/२०२२, लखनऊ, दिनांक-२८.१०.२०२२

**महोदय:**

उपरोक्त विषयक संदर्भ पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करे। जिसके द्वारा विषयाकृत प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रकरण मे विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्नलिखित विन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके-

1. Approval of the Standing Committee of National Board for the Wildlife(NBWL) is required.
2. Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted. An undertaking needs to be submitted by User Agency that no muck shall be disposed off in Forest land.
3. Plantation scheme for roadside plantation needs to be submitted.
4. The patches proposed for CA need to be compact (at least 5 ha.) and should be contiguous to forest land.
5. As per the GIS DSS demarcation of the area proposed for diversion is undervalued. Some parts of the forest block in .kmml file has been demarcated as Non Forest Land. This needs rectification.
6. As per the proposal CA land has been proposed in Non Forest Land. But according the GIS DSS out of six patches four patches (Khasra no. 718 Ga, 719 ka, 768 Ga, 541 Ka) of the proposed CA land polygon partially fall under the forest block. This needs rectification.
7. Geo referenced cadastral map of the proposed CA land needs to be submitted.

महोदय,

(डॉ० प्राची गंगवार)  
 उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल हात्या):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उप्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उप्र०।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०याई० खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत हांशीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेष प्रयावली।

23.11.2022  
(द्वारा गमवार)

उप वन अधिकारीकाक (किन्द्रीय)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उप्र०, लखनऊ।  
पत्रांक- १४०० / ११-सी-FP/UP/Road/121267/2021, लखनऊ, दिनांक: नवम्बर २५, 2022

रामेश  
प्रतिलिपि— मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर एवं मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर वांछित विन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें।

मुख्य वन संरक्षक  
प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर वांछित विन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि— अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस० खण्ड लोक निर्माण विभाग, रावर्ट्सगंज, सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१५  
(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उप्र०, लखनऊ।

EDS  
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर, मीरजापुर

पत्रांक - १९३। प्रियकृ०।३३१८५०, नवम्बर ३०-२०२२

प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र क्षेत्र, मीरजापुर को वन्यजीव क्षेत्र, वन विभाग, अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस० खण्ड लोक निर्माण विभाग को उपरोक्त कैमूर की उपलब्ध कराना सुनिश्चित हो।

१५  
मुख्य वन संरक्षक  
मीरजापुर, मीरजापुर